(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नईदिल्ली, तारीख : 30/08/2017

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद)भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध ड्राइवर से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड), कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2017 है ।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण,वेतन मेट्रिक्स में लेवल**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि**- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   बशर्ते केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व कर्मचारियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राईवर (	7* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स (19900-63200 रु.) में लेवल 2	लागू नहीं	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए अनुदशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तकशिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंप्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : 1. मोटर कार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेन्स धारक; 2. मोटर मैकेनिज्म की जानकारी (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-मोटी खराबी ठीक करनी आती होनी चाहिए); और 3. कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव; और 4. 10वीं कक्षा पास; वांछनीय : होम गार्ड या सिविल वॉलंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा टिप्पण-1 अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती अथवा पुनः भर्ती के लिय दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। सशत्र सेनाओं के कार्मिक: प्रतिनियुक्ति/ पुनः नियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन** कलावती सरन बाल अस्पताल नई दिल्ली के वेतन बैंड -1, रूपय 5200-20200 के साथ रूपय 1800/- में ऐसे नियमित डिस्पेच राईडर (समूह - ग) एवं समूह- ग, कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चलने की दक्षता के मूल्यांकन हेतु किए गए ड्राइविंग टेस्ट के आधार प्राप्त किया हुआ वैध ड्राइविंग लाईसेंस है अन्यथा केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे समूह-ग कर्मचारियों अथवा नियमित आधार पर डिस्पेच राइडर का पद धरण करने वाले कर्मचारियों में से जो कॉलम-7 में यथा उल्लिखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हों। सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिय प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त अथवा रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हो और जो निर्धारित	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति प्रोन्नति के लिए विचार करने हेतु 1. अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, प्रभारी चिकत्सा अनुभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य	लागू नहीं होता।

	अपेक्षित अनुभव और योग्यताएँ रखते हों, पर भी विचार किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक का प्रतिनियुक्ति काल दिया जा सकता है जिस तारीख को वे सशस्त्र बल से रिलीज होने वाले हो;तत्पश्चात उन्हे पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है। <u>टिप्पण</u>: (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी; प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <u>टिप्पण 2</u>: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। <u>टिप्पण 3</u>: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,		

	नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहिंत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

(ए.11018/13/2014-एमएच-।।)

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार